



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/A11-178/2021

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2022

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 2321/SDSUV/Aff/2020-21 दिनांक 17-07-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा कम्बाईन्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, कुआंवाला, देहरादून को एम०-एससी० (माइक्रोबायोलॉजी), एम०-एससी० (बॉयोकेमिस्ट्री) एवं एम०पी०एच० पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2020-21 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र० सं०	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01.	कम्बाईन्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, कुआंवाला, देहरादून	एम०-एससी० (माइक्रोबायोलॉजी) एम०-एससी० (बॉयोकेमिस्ट्री) एम०पी०एच०	25 सीट 25 सीट 60 सीट	2020-21

- 1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह की अवधि में उपलब्ध करायें।
- 2- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- 3- सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्रों की Internships/Visit हेतु जिस बिजनेस ग्रुप/कम्पनी से MOU/Tie-up किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जायेगी साथ ही अग्रोत्तर सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- संस्थान में भवन, पुस्तकालय/पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराने, प्राभूति राशि के सम्बन्ध में नियमानुसार F.D.R विश्वविद्यालय के नाम बंधक रखने का निर्णय लिये जाने एवं उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में शासन से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी कार्रवाई पूर्ण कराते हुये तत्सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- 5- संस्थान U.G.C विनियम 2009 के नियम 3.4.7 की व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के 03 माह के भीतर फैंकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराना सुनिश्चित करेगा।
- 6- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्ति की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

कमशः/-

7-अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2462 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/ A11-178/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, कम्बाईन्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कुआंवाला, देहरादून।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।